जी.सी.एम.एस.नं. 2021/697

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बनाम रणजीत

किस्म मुकदमा .... नम्बर 299/2021 वर्ष ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	14/07/2021 बाहते आदेश मिसल आज पेश हुई। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी उप० हाजरान में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वादी के वादपत्र, जवाब प्रतिवादी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर सगौर मनन किया गया तथा बहस जिससे बाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाने पर न्यायहित में खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारी :— राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस

मुकदमा न. 299 / 2021

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

1. श्री रणजीत पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति माली निवासी पुलिस का मौहल्ला नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

वदपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर. टी. एक्ट

उपस्थित प्रार्थी की ओर से:— तहसीलदार नीमकाथाना
अप्रार्थी की ओर से:— श्री सूरजभान पूनिया एडवोकेट

निर्णय

दिनांक:— 14.07.2025

वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 2841 / 1588 रकबा 0.24 है0 किस्म बारानी 02 राजस्व ग्राम कस्बा नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना में स्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ हैं। उक्त वर्णित भूमि पर कृषि भूमि में बिना अनुमति के प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर हल्का गिरदावर एवं पटवारी को भेजकर जांच करवाई गई हैं। रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त भूमि पर एक आवासीय कॉलोनी काटी जाकर प्लॉटों के चार दिवारी की हुई हैं अर्थात कृषि भूमि को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अकृषि (प्लॉटिंग) हेतु काम में ली जा रही हैं। इस प्रकार से राज्य सरकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी

ओर से दिये गये अधिकारों के विपरित अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया हैं। अप्रार्थी के इस कृत्य की देखा–देखी में अन्य लोगों के द्वारा भी इसी प्रकार भूमि का स्वरूप परिवर्तन किया जा सकता हैं जिससे भविष्य में कृषि भूमि में पैदावार होना भी असम्भव हो सकता हैं जिससे भूमि का कृषि संबंधी उदेश्य ही नही रहेगा जिस कारण वाद कारण उत्पन्न होकर अन्दर मियाद वादपत्र पेश किया गया हैं।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जरिये सम्मन नोटिस की गई। प्रतिवादी की ओर से श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट हाजिर अदालत आये।

प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्णित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ होना स्वीकार हैं किन्तु वादी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं जो किसी प्रकार चलने योग्य नही हैं। वास्तविकता यह हैं कि पिछले कई वर्षो से नीमकाथाना क्षेत्र में काफी कम बरसात होने के कारण क्षेत्र की अधिकांश भूमिया कृषि योग्य नही रही हैं एवं उक्त भूमि कस्बा नीमकाथाना के सटाकर स्थित होने के कारण उक्त भूमि का कृषि उपयोग होना भी सम्भव नही होने पर उतरदाता ने सक्षम अधिकारी के यहां भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन कराये जाने हेतु प्रक्रिया शुरू कर रखी हैं एवं नगर पालिका नीमकाथाना के इस सम्बन्ध में बने नियमों के अनुसार नगरपालिका के आदेश से रूपान्तरण राशि जरिये चालान जमा कराई जा चुकी हैं। आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। अतः वाद वादी विरूद्व उतरदाता मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वादी के वादपत्र, जवाब प्रतिवादी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का घ्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। वादी तथा वकील प्रतिवादी की बहस पर सगौर मनन किया। चूंकि वादी ने वादग्रस्त आराजी को आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन कराये जाने हेतु सक्षम अधिकारी (नगर पालिका नीमकाथाना) के यहां आवेदन कर रखा हैं एवं नगर पालिका के आदेश से रूपान्तरण राशि जरिये चालान जमा कराई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 13:45:10 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

जा चुकी हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य नही पाया जाने पर न्यायहित में खारिज किया जाता हैं। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मूर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा सरे इजलास दिनांक 14.07.2025 को सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested